

एचईईपी-2020 के तहत अधिसूचि माल ढुलाई सहायता योजना में संशोधन को मंजूरी मली

चर्चा में क्यों?

4 जुलाई, 2023 को हरयाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हरयाणा उद्यम और रोजगार नीति (एचईईपी)-2020 के तहत अधिसूचि माल ढुलाई सहायता योजना में संशोधन को मंजूरी प्रदान की गई।

प्रमुख बढि

- वढि है कऱ राज्य के वढिनन औढयोगकऱ संघों और नरऱयातकों ने राज्य सरकार से सभी एमएसएमई के लऱये योजना को संशोधन करने और नरऱयातकों को प्रेरनऱ करने के लऱये ब्लॉक-वाइज कैपगऱ की समीकषा करने का अनुरोध कऱया थऱ।
- नए संशोधनों के अनुसार, वैश्वकऱ बाज़ार में सूकषम, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के नरऱयात को प्रतऱसऱपर्धी बनाने के लऱये अनऱय गैर-वढितीय प्रोतऱसाहनों सहनऱ इकाई के परऱसर से बंदरगाह/एयर कार्गो/अंतरऱराष्टऱ्रीय सीमाओं तक परवऱहन लागत की अढायगी के लऱये माल ढुलाई सबऱसडी के रूप में 25 लाख रुपए प्रढान कऱये जाएंगे।
- वनऱरऱमाण स्थल से बंदरगाह/एयर कार्गो/सडक मार्ग से अंतरऱराष्टऱ्रीय सीमा तक माल की ढुलाई पर सरकारी शुल्क और करों को छोडकर, फऱरी ऑन बोर्ड (एफओबी) मूलऱ या वास्तवकऱ माल ढुलाई के 1 प्रतऱशत की सीमा तक माल ढुलाई सहायता, जो भी कम हो, जेडईडी प्रमाणन के स्तर के आढार पर सुनऱशऱचनऱ की जाएगी।
- थऱरऱसऱट सेक्टर (एचईईपी के तहत अधऱसूचनऱ) के लऱये, 'सी' और 'डी' शऱरेणी ब्लॉक में स्थनऱ थऱरऱसऱट सेक्टर में लगे नरऱमाता नरऱयातक को अधकऱतम 25 लाख रुपए और थऱरऱसऱट सेक्टर 'ए' और 'बी' शऱरेणी के ब्लॉक में लगे नरऱमाता नरऱयातक को 15 लाख रुपए तक की सबऱसडी सुनऱशऱचनऱ की जाएगी।
- अनऱय सभी पातऱर नरऱमाता नरऱयातक इकाइयों (नॉन-थऱरऱसऱट सेक्टर) के लऱये, 'सी' और 'डी' शऱरेणी ब्लॉक में स्थनऱ नरऱमाता नरऱयातक को अधकऱतम 20 लाख रुपए तथा 'ए' और 'बी' शऱरेणी ब्लॉक में स्थनऱ नरऱमाता नरऱयातक को 10 लाख रुपए तक की सबऱसडी सुनऱशऱचनऱ की जाएगी।
- नई संशोधन नीतऱ में वनऱरऱमाण स्थल से बंदरगाह/एयर कार्गो/सडक मार्ग से अंतरऱराष्टऱ्रीय सीमा तक ढुलाई हेतु जेडईडी गोलुड सर्ऱटफऱइड इकाइयों के लऱये शत-प्रतऱशत सबऱसडी, जेडईडी सलऱवर सर्ऱटफऱइड इकाइयों के लऱये 75 प्रतऱशत और जेडईडी काँसऱय सर्ऱटफऱइड इकाइयों के लऱये फऱरी ऑन बोर्ड (एफओबी) मूलऱ या वास्तवकऱ माल ढुलाई के 1 प्रतऱशत में से सरकारी शुल्क और करों को छोडकर, 33 प्रतऱशत सबऱसडी सुनऱशऱचनऱ की जाएगी।
- संशोधन के अनुसार, सभी पातऱर इकाइयों के आवेदन वढितीय वर्ष की समाप्त की तऱरीख से 6 महीने की अवधऱ के भीतर वढऱग के वेब पोऱटल पर जमा करवाए जाएंगे और 10 लाख रुपए से अधकऱ की माल ढुलाई सबऱसडी की मंजूरी देने के लऱये महानऱदेशक/नऱदेशक, एमएसएमई सकषम प्रऱाधकऱरी होंगे।
- मंत्रमऱंडल ढवऱरा योजना की शुरुआत और लागू होने की प्रभावी तऱरऱधऱ में ढदलाव के साथ एजेंडे को स्वीकृतऱ ढी गई।
- योजना की लागू होने की प्रभावी तऱरऱधऱ 1 जुलाई, 2023 होगी जसऱका अऱर्थ है कऱ वास्तवकऱ नरऱयात 1 जुलाई, 2023 को या उसके ढाद कऱया जाना चाहऱये, यह उठान के ढलऱ के आढार पर नरऱऱधऱरनऱ कऱया जाएगा।
- धऱयातवऱय हो कऱऱयह नीतऱऱ राज्य में 1 लाख करोड रुपए का नऱवऱश आकऱषनऱ करने और 5 लाख नौकरऱयों ढैढा करने के उढदेशऱ से अधऱसूचनऱ की गई थी।
- हरयाणा उद्यम और रोजगार नीतऱ (एचईईपी), 2020, औढयोगकऱ प्रतऱसऱपर्धातमकता, संतुलनऱ कषेऱरीय वकऱस, नरऱयात, नऱवाचार और उद्यमनऱ और मजढूत औढयोगकऱ ढुनऱयाढी ढाँचे को ढढावा देने के लऱये राज्य के समग्र सामाजकऱ-आऱर्थकऱ वकऱस के लऱये ढाँच स्तंढों की ढहचऱन करतऱ है।